

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल— 462 003  
दूरभाष क्रमांक (0755) 2779411—12

क्रमांक 222 / प्र.अ./ मोनि / लोस्वायांवि / 2017

भोपाल, दिनांक

जुलाई 2017 - १५-७-१७

## // परिपत्र //

शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-३-२ / 2017 / 2/34 दिनांक 11 मई 2017 के बिन्दु 9 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 15 मई 2017 एवं 21 जून 2017 में 'मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना' के क्रियान्वयन की रूपरेखा एवं तकनीकी बिन्दुओं पर की गई अनुशंसाओं के आधार पर निम्न तकनीकी मापदण्डों का निर्धारण किया जाता है :—

**1. जल प्रदाय के तकनीकी मापदण्ड :—**

- i. घरेलू कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय।
- ii. 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से जल प्रदाय।
- iii. जल प्रदाय की गुणवत्ता सी.पी.एच.ई.ओ., भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होगी।
- iv. ग्राम के अंतिम छोर पर न्यूनतम 7 मीटर के दबाव से जल प्रदाय (सौर ऊर्जा पंप आधारित योजना में पर्याप्त दबाव के साथ जल प्रदाय)।

**2. ग्रामों के चिन्हांकन की प्रक्रिया :—**

- i. शासन के परिपत्र दिनांक 11.05.2017 में ग्रामों के चिन्हांकन हेतु वर्णित मापदण्डों के अनुरूप प्रत्येक विकासखण्ड में 8 ग्राम लिये जायें। इन 8 ग्रामों के अतिरिक्त प्राथमिकता वाले ग्रामों (जहाँ जनभागीदारी की राशि पूर्व में प्राप्त हुई हो अथवा जहाँ स्त्रोत की जल गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो) में से 1 अतिरिक्त ग्राम को भी इन 8 ग्रामों की सूची में सम्मिलित किया जा सकता है। यदि प्राथमिकता वाले ग्रामों की संख्या 1 से अधिक हो तो सर्वाधिक जनसंख्या का ग्राम चिन्हांकित किया जायेगा। इस प्रकार कुल 8 अथवा 9 ग्रामों के चिन्हांकन हेतु प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री द्वारा संबंधित मण्डल के अधीक्षण यंत्री को प्रेषित किया जायेगा।
- ii. यदि किसी विकासखण्ड में 1000 से अधिक आबादी के 8 ग्राम इस योजना हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चिन्हांकित न हो पाये, तो ऐसे विकासखण्ड में 500 से अधिक आबादी की अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य ग्रामों में से अधिकतम आबादी के ग्रामों को योजना हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाये जाने पर सम्मिलित करते हुये 8 अथवा 9 ग्रामों (उपरोक्तानुसार) के चिन्हांकन हेतु प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री द्वारा संबंधित मण्डल के अधीक्षण यंत्री को प्रेषित किया जायेगा।
- iii. ऐसे ग्रामों का चिन्हांकन इस योजना हेतु नहीं किया जायेगा, जहाँ वर्तमान में जल निगम द्वारा समूह नलजल योजना क्रियान्वित की जा रही है, अथवा निकट भविष्य में क्रियान्वित किया जाना संभावित है। इस हेतु मुख्य महाप्रबंधक म0प्र0 जल निगम मर्यादित ऐसी योजनाओं की सूची मय सम्मिलित ग्रामों के सभी मुख्य अभियंताओं/अधीक्षण यंत्रियों/कार्यपालन यंत्रियों को प्रेषित करेंगे।
- iv. अधीक्षण यंत्री द्वारा कार्यपालन यंत्री के प्रस्ताव का परीक्षण किया जायेगा, तथा मापदण्डों के अनुरूप पाये जाने पर उक्त प्रस्ताव अपनी अनुशंसा के साथ परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता को प्रेषित किया जायेगा।
- v. मुख्य अभियंता द्वारा उक्त प्रस्ताव का परीक्षण कर योजना के अंतर्गत "चिन्हांकन सूची" जारी की जायेगी।

११२१२

### 3. ग्रामों की पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया :—

- i. मुख्य अभियंता द्वारा जारी “चिन्हांकन सूची” में सम्मिलित ग्रामों में योजना हेतु जल स्त्रोत की जल आवक क्षमता तथा जल गुणवत्ता का आंकलन किया जायेगा।
- ii. यदि किसी ग्राम में अनेक बसाहटें हों, जिन्हें भौगोलिक अथवा व्यवहारिक दृष्टि से एक नलजल योजना के माध्यम से आच्छादित नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसे ग्राम के लिये एक से अधिक योजनायें भी बनायी जा सकती हैं। सामान्यतः इस योजना के अंतर्गत ग्राम की समस्त बसाहटों को आच्छादित करने का प्रयास किया जावेगा।
- iii. चिन्हांकन सूची के आधार पर आवश्यक नलकूप/अन्य स्त्रोत की संख्या का प्रारंभिक आंकलन कर, स्त्रोतों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाये।
- iv. योजना के क्रियान्वयन का आधार वर्ष 2018 को मानते हुये योजना का रूपांकन किया जावेगा। स्त्रोत का रूपांकन 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से किया जावेगा। योजना हेतु चयनित ग्रामों में अधिकतम 03 स्त्रोतों का उपयोग किया जावेगा।

यदि ग्राम में उपरोक्त मापदण्ड के अनुसार पर्याप्त भूजल उपलब्ध नहीं होता, तो योजना का क्रियान्वयन तभी किया जाये जबकि न्यूनतम उपलब्धता 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से हो। ऐसी परिस्थिति में स्त्रोत एवं पंपिंग मेन को छोड़कर योजना के अन्य अवयव 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से ही रूपांकित किये जावें, जिससे भविष्य में सतही स्त्रोत आधारित नलजल योजना के क्रियान्वयन अथवा अधिक जल आवक क्षमता का स्त्रोत प्राप्त होने पर योजना के अन्य अवयवों को न बदलना पड़े।

सामान्यतः नलजल योजना हेतु स्त्रोतों की अधिकतम संख्या 3 (मय रसैण्ड बाय स्त्रोत के) रहेगी, किन्तु किसी ग्राम विशेष की योजना में 3 से अधिक स्त्रोत निर्मित किये जाने की आवश्यकता होने पर कार्यपालन यंत्री समुचित कारण लिपिबद्ध करते हुये प्रस्ताव संबंधित मुख्य अभियंता को प्रेषित करेंगे। मुख्य अभियंता प्रस्ताव का तकनीकी परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार 3 से अधिक स्त्रोत निर्मित करने की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

ग्राम की जनसंख्या वृद्धि, संबंधित जिले की जनगणना वर्ष 2011 के Decadal Growth Rate के आधार पर आंकलित की जायेगी।

- v. स्टैण्ड बाय स्त्रोत को भी योजना की पाईप लाईन से जोड़ने का प्रावधान डी.पी.आर. में किया जायेगा।
- vi. स्त्रोत की जल आवक क्षमता का निर्धारण न्यूनतम 24 घण्टे तक लगातार यील्ड टेस्ट करने पर प्राप्त जल आवक क्षमता के आधार पर ही किया जायेगा। स्त्रोत के यील्ड टेस्ट एवं जल आवक क्षमता का प्रमाणीकरण उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा (प्रपत्र संलग्न)।
- vii. स्त्रोत की जल आवक क्षमता के आंकलन हेतु आवश्यक यील्ड टेस्ट पृथक से निविदा आमंत्रित कर कराया जाना होगा।
- viii. यदि ऐसा प्रतीत हो कि विद्यमान स्त्रोतों की जल आवक क्षमता पर्याप्त एवं जल गुणवत्ता स्वीकार्य है, तो ग्राम में योजना हेतु उपलब्ध स्त्रोतों का सर्वप्रथम जल गुणवत्ता परीक्षण किया जाये और गुणवत्ता स्वीकार्य पाये जाने पर यील्ड टेस्ट कराकर जल आवक क्षमता का आंकलन किया जायेगा। कार्यपालन यंत्री एवं भूजलविद् द्वारा जल आवक क्षमता एवं जल गुणवत्ता संतोषप्रद पाये जाने पर इस हेतु प्रमाणीकरण सहित ग्राम को पात्रता सूची में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव अधीक्षण यंत्री को प्रेषित किया जायेगा।
- ix. जहाँ विद्यमान स्त्रोतों में जल आवक क्षमता अपर्याप्त पाई जाये अथवा जल गुणवत्ता स्वीकार्य न हो, वहाँ कार्यपालन यंत्री एवं भूजलविद् यह परीक्षण करेंगे कि क्या नये स्त्रोत निर्माण करने पर पर्याप्त क्षमता एवं स्वीकार्य जलगुणवत्ता का स्त्रोत मिलने की संभावना है। ऐसी संभावना

14/2/12

प्रतीत होने पर नये स्त्रोत निर्माण की कार्यवाही संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा निम्नानुसार प्रक्रिया के तहत की जायेगी :—

- a) स्त्रोत के प्रकार यथा नलकूप/सेनेटरी डगवेल/शाफ्ट वेल/इनफिल्ड्रेशन वेल का निर्धारण किया जाये।
  - b) स्त्रोत हेतु नलकूप चयनित किये जाने की स्थिति में साधारण नलकूप हेतु सामान्यतः 200 मिमी. व्यास, टेलीस्कोपिक नलकूप हेतु 200/150/125 मिमी. व्यास तथा ग्रेवल पैक नलकूप हेतु 350/150 मिमी. व्यास रखा जावे। जिन ग्रामों में 150 मिमी. व्यास के सामान्य नलकूपों (टेलीस्कोपिक एवं ग्रेवल पैक नलकूपों को छोड़कर) में पर्याप्त जल आवक क्षमता हो सकती है उन ग्रामों की योजनाओं हेतु नलकूप के व्यास को 200 मिमी. से कम कर 150 मिमी. रखा जा सकेगा।
  - c) नलजल योजनाओं हेतु स्त्रोत की गहराई का निर्धारण भूजल विद की अनुशंसा के साथ—साथ जियोहाइड्रोमार्फोलॉजिकल मैप एवं प्रस्तावित स्थल के आसपास कृषकों/व्यक्तियों द्वारा खनित निजी नलकूपों की गहराई के आधार पर किया जावे।
  - d) स्त्रोत निर्माण की कार्यवाही सामान्यतः अधिक जनसंख्या के ग्राम से कम जनसंख्या के क्रम में की जावेगी। यदि प्रथम 4 ग्रामों में ही पर्याप्त जल आवक क्षमता एवं स्वीकार्य गुणवत्ता के स्त्रोत उपलब्ध हो जाते हैं, तो ऐसे ग्रामों को पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जाये।
- X. योजना हेतु विकसित स्त्रोतों में पर्याप्त जल आवक क्षमता एवं समुचित जल गुणवत्ता सुनिश्चित होने पर ग्राम को पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु यील्ड टेस्ट एवं जल गुणवत्ता परीक्षण की रिपोर्ट सहित प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री द्वारा अधीक्षण यंत्री को प्रेषित किया जायेगा।
- xii. अधीक्षण यंत्री द्वारा ऐसे ग्रामों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा, तथा अपनी अनुशंसा के साथ समुचित प्रस्ताव परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता को प्रेषित किया जायेगा।
- xiii. मुख्य अभियंता द्वारा उक्त प्रस्ताव का परीक्षण कर योजना की “पात्रता सूची” जारी की जायेगी।
- xiv. पात्रता सूची में सम्मिलित प्रत्येक ग्राम के संबंध में दो समानान्तर गतिविधियाँ की जायेगी:—  
 ➤ योजना की डी.पी.आर. बनाना।  
 ➤ ग्राम पंचायत से आवश्यक संकल्प प्राप्त करना।
- xv. योजना की डी.पी.आर. हेतु सर्वेक्षण के दौरान डी.पी.आर निर्माण एजेंसी को ग्राम की पेयजल उपसमिति/ग्राम पंचायत/ग्रामीणों के समक्ष योजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होगी तथा उनके सुझाव भी प्राप्त किये जावेंगे। तकनीकी एवं आर्थिक रूप से व्यवहारिक सुझावों को सम्मिलित करते हुये डी.पी.आर. को अंतिम रूप देने के पूर्व इसका प्रस्तुतिकरण पुनः उनके समक्ष किया जाना होगा।
- XV. पात्रता सूची में सम्मिलित ग्रामों में नलजल योजना के क्रियान्वयन के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा योजना का संचालन—संधारण करने, न्यूनतम 75 प्रतिशत परिवारों द्वारा घरेलू नल कनेक्शन लेने तथा निर्धारित जलकर की राशि देने की लिखित सहमति देना अनिवार्य होगा।

#### 4. ग्रामों के चयन की प्रक्रिया :—

- i. पात्रता सूची के ग्राम जहाँ डी.पी.आर. के अनुसार योजना क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त पाई जाये तथा संबंधित ग्राम पंचायत से वांछित संकल्प पत्र प्राप्त हो जाये, को चयन सूची में सम्मिलित करने पर विचार किया जायेगा।
- ii. पात्रता सूची में सम्मिलित ग्रामों में से वर्ष 2017–18 के लिये प्रत्येक विकासखण्ड में न्यूनतम 4 योजनायें चयन किये जाने का लक्ष्य है किन्तु इन 4 ग्रामों के अतिरिक्त प्राथमिकता वाले ग्रामों (जहाँ जनभागीदारी की राशि पूर्व में प्राप्त हुई हो अथवा जहाँ स्त्रोत की जल गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो) की सूची में से 1 अतिरिक्त ग्राम भी इस सूची में सम्मिलित किया जा सकता है। यदि प्राथमिकता वाले ग्रामों की संख्या 1 से अधिक हो तो सर्वाधिक

2  
पुस्तक

- जनसंख्या का ग्राम चिन्हांकित किया जायेगा। इस प्रकार कुल 4 अथवा 5 ग्रामों की सूची कार्यपालन यंत्री द्वारा संबंधित मण्डल के अधीक्षण यंत्री को प्रेषित की जावेगी।
- iii. जिन विकासखण्डों में पात्र ग्रामों की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम हो, वहाँ 4 से अधिक योजनाओं का चयन किया जा सकता है।
  - iv. मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना में उपरोक्त अनुसार मापदण्डों/अर्हताओं को पूर्ण करने वाले ग्रामों की ‘चयन सूची’ संबंधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा जारी की जावेगी।
5. अन्य बिन्दु :-

- i. योजना के स्त्रोत विकसित होने के उपरांत योजना के अन्य अवयवों के क्रियान्वयन तक स्त्रोत को सुरक्षित रखने के उददेश्य से उसके ऊपर सीमेंट कांक्रीट का ब्लाक बनाना आवश्यक होगा। यदि स्त्रोत आबादी के पास विकसित होता है तो ऐसे स्त्रोत में पंचायत से संचालन-संधारण की सहमति लेकर सिंगल फेस पंप स्थापित कर स्पॉट पर पेयजल उपलब्ध कराया जाये।
- ii. स्त्रोत के स्थायित्व एवं सुरक्षा (Source Sustainability and Security) का प्रावधान योजना की डी.पी.आर. में किया जायेगा।

उपरोक्त तकनीकी मापदण्डों के साथ-साथ शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2017/2/34 दिनांक 11 मई 2017 द्वारा जारी नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

*2*  
14/2012  
(के. के. सानगरिया)  
प्रमुख अभियंता  
जुलाई 2017

पृ.क्र. /स्था.राज./प्र.अ./लोस्वायाँवि/2017  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. मुख्य महा प्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .....
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .....
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .....

*2*  
14/2012  
प्रमुख अभियंता